## सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित बुद्धा चौक से घन्टाघर, दिलाराम चौक, नैनी बेकरी चौक किशनपुर तक तथा हरिद्वार बाईपास दीप नगर चौक से शास्त्रीनगर ढाल तक रोड डिवाईडर के मध्य स्थित डेकोरेटिव विद्युत पोलों पर दिनांक 01.09.2022 से दिनांक 31.08.2024 तक 02 वर्ष के लिये पोल क्योस्क के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20/08/22 की अपरान्ह 2.00 बजे तक ई0 निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है:–

| कार्य का नाम | डेकोरेटिव पोलों की सं0 | नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि |
|---|---|---|
| **बुद्धा** चौक से **घन्टाघर, घन्टाघर** से किशनपुर मसूरी डाईवर्जन **तक, बहल** चौक से नैनी बेकरी **चौक तक तथा हरिद्वार बाईपास** दीप नगर चौक से शास्त्रीनगर **ढाल तक डेकोरेटिव स्ट्रीट लाईट पोल।** | 304 | रूपये 1,97,83,863/– |

उक्त निविदा सम्बन्धी प्री–बिड बैठक दिनांक 10/08/22 को आहूत की गयी है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों को दिनांक 20/08/22 तक **www.uktender.gov.in** पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तकनीकी निविदायें दिनांक 20/08/22 को सांय 4.00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्ते तथा निविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नगर निगम की वेबसाईट **www.naggarnigamdehradun.com** पर भी उपलब्ध है तथा ई0निविदा **www.uktender.gov.in** पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

## कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:–1175/भूमि–2022, दिनांक:– 30/07/22

प्रतिलिपि:–

1. सम्पादक अमर उजाला, को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड एवं दिल्ली एन0सी0आर0 के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं निर्धारित छूट के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पदाक "द पाईनियर" अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन समस्त संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

निविदा फार्म का मूल्य–5000, (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त)

# कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फो0– 0135–2714074 फैक्स–0135–2651060 ई–मेल nagarnigam.ddn@gmail.com)

**बुद्धा चौक से घन्टाघर, घन्टाघर से किशन पुर मसूरी डाईवर्जन तक, बहल चौक से नैनी बेकरी चौक, तक तथा हरिद्वार बाईपास दीप नगर चौक से शास्त्रीनगर ढाल तक कुल 304 डेकोरेटिव पोल क्योस्क**

1. निविदा दाता का नाम :–..........................................................................
2. निविदादाता का पता :– ..........................................................................
..........................................................................
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम :– ..........................................................................
4. जमानत धनराशि :– रू0 .......................................(शब्दों में) ..........................................................................
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :– ..........................................................................
6. बैंक का नाम :–..........................................................................
7. पोल क्योस्क स्थल :– बुद्धा चौक से घन्टाघर, घन्टाघर से किशन पुर मसूरी डाईवर्जन तक, बहल चौक से नैनी बेकरी चौक, तक तथा हरिद्वार बाईपास दीप नगर चौक से शास्त्रीनगर ढाल तक कुल 304 डेकोरेटिव पोलों पर क्योस्क

(शब्दों में) ..........................................................................
निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :–..........................................................................
निविदादाता का नाम :–..........................................................................
निविदादाता का पूरा पता :– ..........................................................................

## निविदा की शर्ते एवं प्राविधान

1. स्वीकृति दिनांक 1-9-22 से दिनांक 31-8-24 तक दो वर्ष के लिये मान्य होगी।
2. निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दिनांक 20-8-22 की अपरान्ह 2.00 बजे तक ई0निविदा के माध्यम से www.uktender.gov.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।
3. निविदा सम्बन्धी प्री–बिड बैठक दिनांक 10.08.2022 को सांय 4.00 बजे आहूत की गयी है।
4. निविदा शुल्क रू0–5900/– का भुगतान नगर निगम के यूनियन बैंक खाता सं0–543902010007132 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0554391 में कराना अनिवार्य होगा।
5. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–1,97,83,863/– निर्धारित है।
6. निविदा हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत धनराशि रू0–की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 रू0–19,78,386/– को निविदा स्वीकृति के उपरान्त निगम कार्यालय में मूल में जमा कराना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय तकनीकी दस्तावेज जैसे–पिछले तीन वर्ष की आई0टी0आर0,पैनकार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0, एवं जी0एस0टी0 नं0, कम्पनी/फर्म का टर्न ओवर तीन वर्ष का प्रतिवर्ष एवरेज 1.00 करोड, विज्ञापन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव किसी भी विभाग/राज्य से हो सकता है जो कि न्यूनतम् रू0 1 करोड़ के कार्यो से कम का ना हो, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग में डिफाल्टर न होने का रू0–10 का शपथपत्र तथा निर्धारित धनराशि रू0–19,78,386/–की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 तथा निविदा शुल्क 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रू0–5900/– का आर0टी0जी0एस0/नैफ्ट से भुगतान की रसीद को समस्त तकनीकी दस्तावेजों के साथ स्कैन कॉपी को ई0टैन्डर वैबसाईट पर भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।

9. यह कि उपलब्ध कराये गये समस्त तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 20-8-22 की सांय 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। वित्तीय निविदा में सफल निविदादातों की वित्तीय निविदा खोलने की सूचना सम्बन्धित फर्मो को दूरभाष अथवा ई0मेल के माध्यम से दे दी जायेगीं।

10. निविदादादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि छः माह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

11. यह कि नगर निगम द्वारा भविष्य में यदि नगर निगम से सम्बन्धित किसी भी योजना का प्रचार–प्रसार किया जायेगा तो सम्बन्धित फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान नगर निगम द्वारा स्वीकृत उच्चतम् निविदा धनराशि के आधार पर उसी अनुपात में किया जायेगा।

12. यह कि स्वीकृत निविदादाता को पोल क्योस्क सिर्फ डेकोरेटिव पोलो पर ही लगाये जायेंगे।

13. यह कि निविदा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा/महामारी अवधि में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय नगर आयुक्त महोदय द्वारा गठित समिति की आख्या के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

14. रोड के मध्य डिवाईडर पर लगाये जाने वाले पोल क्योस्क की उंचाई सड़क/जमीन से 10 फिट से अधिक होगी।

15. रोड डिवाईडर के मध्य डेकोरेटिव पोलों पर लगने वाले पोल क्योस्क का साईज 2.5 X 3.5 फिट से अधिक नही होगा।

16. रोड डिवाईडर के मध्य लगने वाले वाले डेकोरेटिव पोलो पर डबल पोल क्योस्क नही लगाये जायेंगे।

17. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।

18. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य डेकोरेटिवपोलों पर पोल क्योस्क नही लगाये जायेंगे।

19. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नही होगी।

20. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नही किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो प्रति यूनिपोल/होर्डिंग अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

21. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोल क्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।

22. डेकोरेटिव पोलों पर पोल क्योस्क के मेन्टीनेन्स रंगाई पुताई सम्बन्धी खर्च भी सम्बन्धित फर्म को स्वंय वहन करना होगा।

23. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई पोल क्योस्क को हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टें के अन्दर हटाना होगा जिस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।

25. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

26. निविदादाता द्वारा दिनांक 31-8-24 तक विज्ञापन सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

27. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

28. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

29. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0–एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।

30. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

31. निविदादात द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नही लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन नियमानुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

32. विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या स्पष्ट रूप से लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।

33. उपरोक्त विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वंय करनी होगी।

34. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वंय का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0–39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

35. यह कि उक्त निविदा में वही निविदादाता/प्रतिभाग कर सकती है जो सभी अर्हता पूर्ण करता हो।

36. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं की धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त करते हुए फर्म के साथ–साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मालिक जो भी हो दोनो को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।